संख्या: 26/2020/393/छप्पन-2020-02/2013

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय: देवागंना शिखर पर निर्मित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु प्रभावित 61.589 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.99488 हे0 वन भूमि के वर्तमान बाजार दर से मूल्य वन विभाग के पक्ष में जमा कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्याः 773/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 27 फरवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें देवागंना शिखर पर निर्मित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु प्रभावित 61.589 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.99488 हे0 वन भूमि के वर्तमान बाजार दर से मूल्य वन विभाग के पक्ष में जमा कराये जाने हेतु रू0 5,90,40,656/- (रूपया पांच करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार छः सौ छप्पन मात्र) का प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल देवागंना शिखर पर निर्मित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु प्रभावित 61.589 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.99488 हे0 वन भूमि के वर्तमान बाजार दर से मूल्य वन विभाग के पक्ष में जमा कराये जाने हेतु रू0 5,90,40,656/- (रूपया पांच करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार छः सौ छप्पन मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस परियोजना पर रू0 5,90,40,656/- (रूपया पांच करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार छः सौ छप्पन मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|
II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

III. जिलाधिकारी, चित्रकूट और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु कार्ययोजना के अनुसार ही कार्य किया जाए|

IV. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो| अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा|

V. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा|

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारी, चित्रकूट के निर्वतन पर रखा जायेगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4- कृपया रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित अवरोधों को दूर करने/ हटाए जाने हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, चित्रकूट से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

5- जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा तथा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ शासन को इस सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे|

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 के प्रस्तर- 2(1) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः 26/2020/393(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, चित्रकूट ।

(4) जिलाधिकारी, चित्रकूट ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट ।

(6) वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

(9) निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश ।

(10) समीक्षा अधिकारी (बजट)।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।